संख्या-92/2016/821/71-1-2016-जी-182/2016

प्रेषक,

जयवीर सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 31 मार्च, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, उरई (जालौन) में ओ0पी0डी0 के कम्प्यूटराइजेशन हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2015-16/950, दिनॉक 15-03-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, उरई (जालौन) में ओ0पी0डी0 के कम्प्यूटराइजेशन हेतु मै0 अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0 लखनऊ को एतद्द्वारा कार्यदायी संस्था नामित करते हुए मै0 अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0 लखनऊ द्वारा गठित आगणन रू0 59,23,575/- (रू0 उनसठ लाख तेईस हजार पॉच सौ पचहत्तर मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति तथा राजकीय मेडिकल कालेजों में कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 22,50,000/- (रू0 बाइस लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष् प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3- मानक की पूर्ति एवं कार्य की गुणवत्ता का उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, जालौन एवं कार्यदायी संस्था का होगा।
4- स्वीकृत किये जा रहे कार्य में क्रय आदि के संबंध में क्रय नियमों, प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है और न ही इस योजना हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिससे कि कार्य की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो।
6- स्वीकृत धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखी जायेगी।
7- कम्प्यूटरीकरण हेतु स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि के उपयोग हेतु आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग तथा यू0 पी0 डेस्को द्वारा कम्प्यूटरीकरण हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रधानाचार्य एवं कार्यदायी संस्था के मध्य एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया जायेगा।
9- सेन्टेज चार्जेज केवल निर्माण कार्यो पर देय होंगे तथा उपकरण पर नहीं।
10- कार्यदायी संस्था द्वारा विभागीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

12- कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य पूर्ण होने पर सम्परीक्षित लेखे वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनॉक 30-03-2015 के बिन्दु-5(च) के अनुसार उपलब्ध कराये जायेंगे तथा प्रधानाचार्य का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त करे।"

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-05-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-शिक्षा-0307-मेडिकल कालेजों में नेटवर्किंग सुविधा/कम्प्यूटराइजेशन-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनॉक 30 मार्च, 2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

संख्या: - 92/2016/821(1)/71-1-2016 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उरई (जालौन)।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, उरई (जालौन)।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, उरई (जालौन)।
6- समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ)/नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।